


23⁰⁸/₂₃

पत्रावली पेश। वकील शर्मा एवं कैरोकार राज उफ।
बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अफ्लोम्ब
करने पर शर्मा का प्रार्थनापत्र स्वीकर योग्य
होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर संलग्न किया
गया। पत्रावली बाद तुरंत तत्कालीन दफ्तर
दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर अगले न्यायालय
में सुनाया गया।


(अमिता बिशनोई)
RoAoS